भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 435

19 नवम्बर, 2019 के लिए प्रश्न

चीनी का निर्यात

435. श्री डी एन वी सेंथिलकुमार एस:

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

श्री विनायक भाऊराव राऊत:

श्री हेमन्त पाटिल:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान वर्ष के दौरान देश में उपभोग की तुलना में चीनी के अधिक उत्पादन के फलस्वरूप सरकार ने अतिरिक्त चीनी का निर्यात करने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चीनी की कितनी मात्रा का निर्यात करने का निर्णय लिया गया है;

(ख) क्या सरकार ने चीनी सत्र 2019-20 हेतु चीनी मिलों को एकमुश्त राजसहायता प्रदान करने को मंजूरी दे दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कुल कितना व्यय होने का अनुमान है;

(ग) क्या सरकार ने राजसहायता को सीधे किसानों के खातों में अंतरित करने हेतु कोई व्यवस्था की है और यदि हां, तो धनराशि का अंतरण कब तक किया जाएगा; और

(घ) सरकार द्वारा देश में चीनी निर्यात में वृद्धि करने हेतु अन्य क्या कदम उठाए गए हैं

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्री दानवे रावसाहेब दादाराव)

(क) और (ख): भारत सरकार ने देश से चीनी के अधिशेष स्टॉक को समाप्त करने के लिए 12 सितम्बर, 2019 को एक स्कीम अधिसूचित की है। इस स्कीम के अधीन वर्तमान चीनी मौसम 2019-20 के दौरान निर्यात के लिए चीनी मिलों के बीच 60 लाख टन की अधिकतम अनुमेय निर्यात मात्रा (एमएईक्यू) निर्धारित की गई है।

जारी.....2/-

सरकार ने चीनी के निर्यात पर हैंडलिंग, अपग्रेडिंग और अन्य प्रोसेसिंग लागत तथा अंतर्राष्ट्रीय और आंतरिक परिवहन तथा मालभाड़ा प्रभारों की लागत सहित विपणन लागत पर होने वाले व्यय के प्रति 10,448 रुपए प्रति टन की दर से एकमुश्त निर्यात राजसहायता प्रदान करके चीनी के निर्यात के लिए स्कीम अनुमोदित की है। इस संबंध में कुल व्यय लगभग 6268 करोड़ रुपए होगा।

(ग): यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह सहायता किसानों के खातों में सीधी जमा की जाती है, चीनी मिल किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/सहकारी बैंक में अलग से एक नो-लियन खाता खोलेंगी और उक्त बैंक को किसानों के बैंक खातों का ब्यौरा तथा चीनी मौसम 2019-20 के लिए किसानों को देय गन्ना मूल्य की राशि तथा पिछले चीनी मौसम के गन्ना मूल्य की बकाया राशि के ब्यौरे सहित किसानों की सूची देंगी, जो संबंधित राज्य के गन्ना आयुक्त अथवा शर्करा निदेशक द्वारा विधिवत प्रमाणित होगी। बैंक, देय गन्ना मूल्य बकाया के प्रति मिलों की ओर से किसानों के खातों में सहायता की राशि जमा करेगी और बाद में शेष राशि, यदि कोई हो, मिल के खाते में जमा की जाएगी।

(घ): चीनी उद्योग को चीनी के निर्यात की संभावनाओं की तलाश शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु चीनी के निर्यात पर सीमा शुल्क 20 मार्च, 2018 से वापस ले लिया गया है।

*****